स्याबी V/S राजेश्वरा वगैरह

14/3/2025

14/11/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। अप्रार्थी सं. 1/3 के समन बाद तामील शुदा। अप्रार्थी सं. 2, 3, 4, 1/1 लगा. 1/4 बाद तामील अप्रार्थी सं. 1. के विधिक वारिसान अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1/1 लगा. 1/4, 2, 3 व 4 को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी सं. 1/1 लगा. 1/4, 2, 3 व 4 के बाद सूचना असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा. दीवानी पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जा. दीवानी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित उनवान पेश होने हेतु दिनांक 15/12/25 को पेश हो।

14/11/25

15/12/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित उनवान पेश किया गया, संशोधित उनवान शा. शामिल किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा. दीवानी पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरुस्ती पेश किया गया जिसमें पेशी दिनांक 8/3/2018 से आगामी पेशी 10/5/2018 नियत की गई थी। नियत पेशी दिनांक 10/5/2018 को न्यायालय में हाजिर होने पर जानकारी प्राप्त हुई कि विचाराधीन वाद दिनांक 10/5/2018 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। दिनांक 10/5/2018 को पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत होने से खारिज योग्य है।

15/12/25

सहायक कलक्टर

[illegible]

प्रकरण सं. 143/2025 स्थागी बनाम रामेश्वर वगै.

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
15/12/25	में नियत दिनांक को कांट-छांट किया जाना दृष्टव्य है। साथ ही प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा. दीवानी के तहत अपील को संस्थित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया है। जिसे स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 10/4/2018 को अपास्त करते हुये मूल वाद को पुनः रेस्टोर किया जाना न्यायहित में उचित होगा। यदि न्यायालय द्वारा मूल वाद को रेस्टोर कर पुनः नम्बर पर नहीं लिया जाता है तो प्रार्थीगण/वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी एवं प्रकरण (मूल वाद) को रेस्टोर किये जाने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण हो सकेगा। इस कारण भी मूल वाद को रेस्टोर कर पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत होगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा-दीवानी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव **<u>आदेश</u>** प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा- अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा-दीवानी स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद संख्या 12/2013 उनवान स्थागी वगै. बनाम रामेश्वर वगै. में पारित आदेश दिनांक 10/4/2018 को मंसूख (समाप्त) किया जाकर मूल वाद संख्या 12/2013 को रेस्टोर किया जाकर पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली शामिल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बरी से कम हो। (हस्ताक्षर) 15/12/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	

प्रकरण सं. 143/2025 स्थायी रामेश्वर कॉ०

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15/12/25	प्रकरण में न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 8/3/2018 से आगामी पेशी दिनांक 10/5/2018 नियत की गई थी जबकि आदेशिका पर काट-छांट करते हुये पेशी दिनांक 10/5/2018 से परिवर्तित करते हुये 10/4/2018 परिवर्तित की गई जो अनुचित है। प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा श्रीमती पुष्पा मेहता पत्नी डॉ कुशल मेहता के प्रार्थना पत्र दिनांक 6/4/2018 पर दिनांक 10/4/2018 मार्क करते हुये प्रार्थना पत्र बोर्ड को अग्रेषित किया गया। श्रीमती पुष्पा देवी मेहता प्रकरण में पक्षकार के रूप में कायम नहीं थी और उनके द्वारा पक्षकार बनने हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार न्यायालय द्वारा आदेशिका में नियत पेशी में काट-छांट करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र के खारिज किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही दिनांक 11/5/2018 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल प्राप्त होते ही दिनांक 17/5/2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा. दिवानी पेश कर दिया है। प्रार्थना पत्र के साथ विलम्ब अवधि को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश की गई है। अतः विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा. दिवानी को स्वीकार किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे और मूल वाद को पुनः रेस्टोर कर नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अदम पैरवी/अदम हाजरी का कारण यह बताया है कि पत्रावली की आदेशिका में काट-छांट करते हुये नियत दिनांक 10/5/2018 से परिवर्तित कर दिनांक 10/4/2018 नियत की गई है। प्रथमदृष्टया आदेशिका —लगातार—

15/12/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा